

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/माध्यमिक/आपदा प्रबन्धन/प्रशिक्षण/2013

दिनांक: 01-08-19

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, राजस्थान।

विषय :- माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से सम्बन्धित बैठक में प्रदत्त निर्देशों की सुनिश्चित पालना के क्रम में।

प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप - 6) विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक: प. 24 (34) शिक्षा-6 / 2017, जयपुर, दिनांक 8.7.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय निर्देशों के अनुक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से सम्बन्धित बैठक में प्रदत्त निम्नांकित निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार में करवाई जानी सुनिश्चित करें :-

1. समस्त संस्था प्रधान जिले के नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) अधिकारी से सम्पर्क कर विद्यालय में अग्निशमन दस्ते का अग्नि विषयक दुर्घटनाओं से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु नमूना प्रदर्शन कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों को उक्त बाबत आवश्यक जानकारी हेतु व्याख्यान आयोजित करवाएंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिले में नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियन्त्रक/प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण जिले में स्थित विद्यालयों हेतु एक समुचित समय सारणी निर्मित कर उक्त कार्य को एक कार्ययोजना के तहत निष्पादित करवा सकते हैं। सहज सन्दर्भ हेतु राज्य के समस्त 33 जिलों के नागरिक सुरक्षा उप नियन्त्रक/प्रभारी के नाम, पद एवं मोबाईल नं. की सूची पत्र के संलग्न प्रेषित है।
2. विभिन्न कक्षा वर्गों के स्तरानुसार विद्यालयों एवं जिला स्तर पर आयोज्य विभिन्न निबन्ध लेखन एवं भाषण प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान "आपदा प्रबन्धन" विषय को भी पर्याप्त अधिभार प्रदान कर सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. भविष्य में विद्यालय एवं अन्य आवश्यक लोक सुविधा एवं सेवा प्रदाता संस्थानों/संस्थाओं के निर्माण हेतु स्थान का चयन करते समय न्यूनतम आपदा संभाव्यता के प्रावधान सम्मिलित किये जावें।
संलग्न :- यथोक्त



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (गुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. अनुभाग अधिकारी, पी.एस.पी, कार्यालय हाजा को बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के मान्यता/क्रमोन्नति सम्बन्धी प्रावधानों में सम्मिलित किए जाने पर विचारण हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्र. शिक्षा/विभा/Govt./ 2187
15 JUL 2019
राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:—प.24(34)शिक्षा-6/2017

जयपुर, दिनांक 27/7

निदेशक,
✓माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर।

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर

विषय:—माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मीटिंग में स्कूलों के संबंध में दिये गये निर्देश बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की अशा.टीप एफ.8(3) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2018/4014 जयपुर दिनांक 28.05.2019 की प्रति मथ संलग्नकों के संलग्न कर लेख है कि पत्र में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें तथा की गई कार्यवाही से कृपया इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीय,

(एच. एल. अटल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि :- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अशा.टीप एफ.8(3) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2018/4014 जयपुर दिनांक 28.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

विषय:- माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग में स्कूलों के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश बाबत।

प्रसंग:- इस विभाग का पत्रांक: एफ 8(3) आ.प्र. एवं सहा./आ.प./19470 दिनांक 20.12.2018 एवं समसंख्यक 1934 दिनांक 26.2.2019 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि श्री आर.के. जैन, माननीय सदस्य, एनडीएमए के अ.शा. पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2018 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया गया था कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 में स्कूलों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में पालना हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:-

- (a) Fire fighters should go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures. (इस बिन्दु की कार्रवाई हेतु स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देशित करें कि वे जिले के नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) अधिकारी से सम्पर्क कर कार्रवाई सम्पन्न करावें, सुलभ संदर्भ हेतु नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के सम्पर्क हेतु सूची संलग्न है)।
- (b) In Districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essays in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management"
- (c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की क्रियान्विति/पालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। इस बाबत क्रियान्विति रिपोर्ट प्रतीक्षित है। एनडीएमए से इस सम्बन्ध में स्मरण-पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। कृपया, इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

शासन सचिव

अ.शा.पत्र सं:एफ.8(3) आ.प्र.एवं सहा./आ.प./2018/4014

जयपुर, दिनांक: 29/05/19

0/15

भारत सरकार



Government of India

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

'एनडीएमए भवन', ए-1 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110029

"NDMA Bhawan", A-1 Safdarjung Enclave,

New Delhi - 110029



F. No. 05/52/2018/NDMA/CBT

Dated: 10th May, 2019

To: The Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs (as per list annexed)

Sub. Action taken report on the directions issued during the 6th Meeting of NDMA chaired by Hon'ble Prime Minister at New Delhi on 18th October, 2018 - reg

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Authority's DO letter of even number dated 22nd November 2018 for compliance of following directions issued by Hon'ble Prime Minister during the 6th meeting of NDMA on 18th October, 2018:

- Fire fighters should go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures.
- In districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essay in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management".
- The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

2. Action taken report in this regard was also requested from all States/UTs vide this Authority's OM dated 22nd January, 2019. However, response in the matter is still awaited.

3. It is once again requested to send the updated action taken report on the directions issued by Hon'ble Prime Minister during 6th Meeting of NDMA as mentioned above to NDMA at the earliest so that the same could be submitted to Prime Minister's Office.

Encl. as above

भवदीय / Yours faithfully,

(कर्नल अमित खोसला / Col Amit Khosla)

संयुक्त सलाहकार (सी.बी.टी.) / Joint Advisor (CBT)

टेलीफोन नं. / Telephone No: 011 - 26701880

ई-मेल / E-mail: cbt@ndma.gov.in

Copy to:

- Ms Rina Ray, Secretary, Deptt of School Education & Literacy, MHRD, Room No. 124 - C, Shastri Bhawan, New Delhi (Email: secy.sel@nic.in) - Deptt of School Education & Literacy is requested to take up the matter with Education Departments of all States/UTs.
- Shri Sanjeev Kumar Jindal, Joint Secretary (DM) Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001 [Email: jsdm@nic.in] - for information.

डॉ. आर. के. जैन, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)

सदस्य

Dr. K. JAIN, IAS (Retd.)

Member



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

DO.No.05/52/2018/NDMA/CBT

Dated: 22nd November 2018

Dear Mr. Gupta,

Hon'ble Prime Minister chaired the sixth meeting of National Disaster Management Authority (NDMA) at New Delhi on 18th October, 2018 to review the activities of NDMA.

2. During discussion in the meeting, Hon'ble Prime Minister emphasized on the need for better coordination among stake-holders and desired that the following steps be taken immediately for the schools:

- (a) Fire fighters should go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures.
- (b) In Districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essays in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management".
- (c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

3. I therefore request you to issue necessary directions to all concerned to ensure compliance with the above directions of Hon'ble Prime Minister.

With regards,

Yours sincerely,


(R.K. Jain)

Shri D. B. Gupta
Chief Secretary,
Govt. of Rajasthan,
Secretariat,
Jaipur-302003



Government of India
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
"NDMA Bhawan", A-1 Safdarjung Enclave,
New Delhi -110029



F. No. 05/52/2018/NDMA/CBT

Dated: 22nd January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Action taken report on the directions issued during the Sixth Meeting of NDMA chaired by Hon'ble Prime Minister at New Delhi on 18th October, 2018-reg

The undersigned is directed to refer to this Authority's DO letter of even number dated 22nd November, 2018 (copy enclosed) from the then Member, Shri R. K. Jain to all States/UTs with request to issue necessary directions to all concerned to ensure compliance with the following directions of Hon'ble Prime Minister:

- a) Fire fighters go to schools and conduct demonstration exercises and give lectures.
- b) In districts, essay competition and oratorical competition should be conducted for children. Essay in schools examination should be introduced on the topic of "Disaster Management".
- c) The selection of sites for construction of schools and other essential public facilities should be based on a condition of minimal threat from disasters.

2 All States/UTs are requested to furnish action taken report to NDMA at the earliest for further necessary action.

Encl: as above

(Col. Amit Khosla)
Joint Advisor (CBT), NDMA,
Tel: 011-26701 880
Email: cbt@ndma.gov.in

To:

The Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs (As per list annexed)

Copy to:

The Joint Secretary (DM) [Shri Sanjeev Kumar Jindal], Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001 [Email: jsdm@nic.in]

निदेशालय, नागरिक सुरक्षा विभाग राज जयपुर
नागरिक सुरक्षा जिलों में उप नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी

कसं	जिला	नाम अधिकारी	पद	मोबाइल नं	अन्य सन्मके न.
1	अजमेर	श्री इन्द्रमल	उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा	9549892335	
2	भीलवाड़ा	श्री गौरव सोमानी	लेखाधिकारी, कलैक्ट्रेट		
3	नागौर	श्री सुरेश पुरोहित	सहा. लेखाधिकारी-1	9414244497	
4	ढौक	श्री परसुराम धानका	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	9414642761	
5	जयपुर	श्री जगदीशप्रसाद	उपनियंत्रक, नागरिकसुरक्षा	9351472888	
6	दौसा	श्री राजवीरसिंह चौधरी	अति. जिला कलक्टर	9602237878	9460408902
7	अलवर	श्री ओ.पी.जैन	अति. जिला कलक्टर	9414319979	
8	सीकर	सुश्री गरिमा लाटा	उपखण्ड अधिकारी	9784603696	9461933921
9	भरतपुर	श्री पुष्कर मित्तल	उपखण्ड अधिकारी	9414793559	
10	धौलपुर	श्री ओ.पी.सारण	उपखण्ड अधिकारी	9413514599	
11	करोली	श्री बंशीलाल मीणा	लेखाधिकारी, कलैक्ट्रेट	9460704556	9983448401
12	सवाईमाधोपुर	श्री लक्ष्मीकांत कटारा	उपखण्ड अधिकारी		9610615111
13	कोटा	श्री जयसिंह चुण्डावत	उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा	9460679186	
14	बारां	श्री सुदर्शन सिंह तौमर	अति. जिला कलक्टर	9828410620	9414745000
15	बून्दी	डा० सुरज नैगी	अति. जिला कलक्टर (अतिथि)	9460709680	9784583100
16	झालावाड़	श्री रामकरण शर्मा	अति. जिला कलक्टर	9414017788	9530351061
17	उदयपुर	श्री अमित शर्मा	उपनियंत्रक, ना.सु.	9460242288	
18	डूंगरपुर	श्री विनय पाठक	अति. जिला कलक्टर	9602723366	8290898045
19	बांसवाड़ा	श्री हिम्मतसिंह बारेठ	अति. जिला कलक्टर	9414521958	9413215080
20	राजसमन्द	श्री राकेशकुमार गंगवार	अति. जिला कलक्टर	9461059603	
21	प्रतापगढ़	श्री हेमन्त नागर	अति. जिला कलक्टर	9680935865	9929424130
22	चित्तौड़गढ़	श्री चन्द्रमानसिंह भट्टी	अति. जिला कलक्टर	9414493101	
23	बीकानेर	श्रीमति. मानिका बलारा	उपखण्ड अधिकारी	9024250003	
24	गंगानगर	श्री सौरभ स्वामी IAS	उपखण्ड अधिकारी	8792768494	
25	हनुमानगढ़	श्री प्रभातीलाल	अति. जिला कलक्टर	9950444225	9414481101
26	धुरु	श्री रमरजन	अति. जिला कलक्टर	9828550661	9413758823
27	झुंझनू	श्री राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल	अति. जिला कलक्टर	9414111395	9782301744
28	जोधपुर	श्री रामदीनाराम	उपनियंत्रक, नागरिकसुरक्षा	9314739574	
29	जैसलमेर	श्री विकास राजपुरोहित	उपखण्ड अधिकारी	9511569124	
30	पाली	श्री भागीरथ विश्नोई	अति. जिला कलक्टर	9414088029	
31	जालोर	श्री राजेन्द्रसिंह सिसोदिया	उपखण्ड अधिकारी	8890091642	
32	सिरोही	श्री आशाराम डूडी	अति. जिला कलक्टर	9799493555	
33	बाड़मेर	श्री राकेशकुमार	अति. जिला कलक्टर	96601/3799	